–अडसट–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 <u>संख्या क0नि0–5–2490 / 11–2005–500(87)–2001</u> <u>लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2005</u> अधिसूचना आदेश

प0आ0-254

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 27, 47क और 75 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राजयपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

- 1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकर्न) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।
 - (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 5 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

	रतम्भ—1		स्तम्भ-2
	विद्यमान उपखण्ड	एतद्ह	ारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(दो) वाणिज्यिक	भूमि का न्यूनतम मूल्य चाहे निर्माण से आच्छादित	(दो) वाणिज्यिक	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड नियम
4 के			
भवन	हो या नहीं जो खण्ड (क) के अधीन लिखत की	भवन	अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत
न्यूनतम			
	विषय वस्तु के अनुसार निकाला जायेगा और		किराए के साथ भवन के प्रत्येक
मंजिल के			
	नियम 4 के अधीन जिले के कलेक्टर द्वारा नियत		निर्मित क्षेत्र का गुणा करके, भवन के
संगणित			
	न्यूनतम किराए के साथ भवन के प्रत्येक मंजिल		न्यूनतम मासिक किराएका तीन सौ
गुना होगा,			
	के निर्मित क्षेत्र को गुणा करके, भवन के तय		जो लिखत की विषयवस्तु के अनुसार
निकाला			
	पाये गये न्यूनतम मासिक किराए का तीन सौ		जाएगा।
	गुना होगा, का जोड़।		
			आज्ञा से,
			ह०अस्पष्ट
			अतुल चतुर्वेदी,
			0 0

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. 5-2490/XI-2005-500(87)-2001, dated May 30. 2005 for general information.

प्रमुख सचिव।

No. K.N.5-2490/XI-2005-500(87)-2001 Lucknow, Dated May 30, 2005

In exercise of the powers under sections 27, 47-A and 75 of the Indian Stamp Act. 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make, the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules, 1997.

<u>UTTAR PRADESH STAMP (VALUATION OF PROPERTY)</u> (FIRST AMENDMENT) RULES. 2005 Notification

- 1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) (First Amendment) Rules, 2005.(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
- 2. In rule 5 of the Uttar Pradesh Stamp (Valuation of Property) Rules. 1997 for sub-clause (ii) of clause (c) set out in column-I below, the sub-clause as set out in column-II shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1		COLUMN-2
	Existing sub-clause	Sub-cla	use as hereby substituted
Commercial	(ii) Minimum value or land whether covered	Commercial	(ii) Three hun dred times
the minimum			
building	by the construction or not, which is the	building	monthly rent of the
building, which is			
	subject matter of the instrument, as		the subject matter of the
instrument,			
	worked out under clause (a) plus three		calculated by
multiplying the con			
	hundred times the minimum monthly rent		structed area or each
floor of the build			
	of the building arrived at by multiplying		ing with the minimum
rent fixed by			
	the constructed area of each floor of the		the Collector of the
district under			
	building with the minimum rent fixed by		rule 4.
	the Collector of the district under rule 4.		

By order, Sd/-Illegible ATUL CHATURVEDI, Pramukh Sachiv.